30/6/12





राजापन

Jelhi Gazette

29/6/7

असाधारण EXTRAORDINARY प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 72] No. 72] दिल्ली, मंगलवार, मई 4, 2010/वैशाख 14, 1932 DELHI, TUESDAY, MAY 4, 2010/VAISAKHA 14, 1932 [रा.रा.रा.क्षे. दि. सं. 32

[N.C.T.D. No. 32

भाग—IV PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राजस्व विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 4 मई, 2010

सं.पना.7(13)/रा.स्थ./स.र./जी.ए./97/पार्ट काइल/562 (i).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 की धारा 27/1/बी द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अश्वनी कुमार, तहसीलदार (वसन्त विहार), को जब तक वह इस पद पर बने रहते हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शिक्तयां प्रदान करते हैं।

सं.पना.7(13)/रा.स्था./स.र./जी.ए./97/पार्ट प्राइल/562 (ii).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अश्वनी कुमार, तहसीलदार (वसन्त विहार), को जब तक वह इस पद पर बने रहते हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान करते हैं।

सं.प्ना.7(13)/रा.स्था./स.र./जी.ए./97/पार्ट फाइल/562 (iii).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित पूर्वी पंजाब होल्डिंग अधिनियम, 1948 (1948 की अधिनियम सं. 50) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अश्वनी कुमार, तहसीलदार (वसन्त विहार), को जब तक वह इस पद पर बने रहते हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में उक्त शक्तियों व अधिनियम के अंतर्गत चकबंदी अधिकारी नियुक्त करते हैं।

सं.पना.7(13)/रा.स्था./स.र./जी.ए./97/पार्टं फाइल/562 (iv).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 की अधिनियम सं. 12) की धारा 77 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अश्वनी कुमार, तहसीलदार (वसन्त विहार), को जब तक वह इस पद पर बने रहते हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शिक्तयां प्रदान करते हैं।

REVENUE DEPARTMENT NOTIFICATIONS

Delhi, the 4th May, 2010

No. F. 7(13)/Rev. Estt./SR/GA/97/Part file/562 (i).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 27 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Act No. XVII of 1887), as enforced in the NCT of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Shri Ashwini Kumar, Tehsildar

पूर्वी पंजाब हो 1692 DG/2010

(1)

(Vasant Vihar) the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act in the said Territory, so long as he holds the post or till further orders whichever is earlier.

No. F. 7(13)/Rev. Estt./SR/GA/97/Part file/562 (ii).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901, as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Shri Ashwini Kumar, Tehsildar (Vasant Vihar) the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act in the said Territory so long as he holds the post or till further orders whichever is earlier.

No. F. 7(13)/Rev. Estt./SR/GA/97/Part file/562 (iii).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 14 of the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act, 1948 (Act No. 50 of 1948), as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints Shri Ashwini Kumar, Tehsildar (Vasant Vihar) as Consolidation Officer in the said Territory for the purpose of the aforesaid Act, till such time as he holds the said post or till further orders whichever is earlier.

No. F. 7(13)/Rev. Estt./SR/GA/97/Part file/562 (iv).—In exercise of the powers conferred by Section 77 of the Delhi Land Revenue Act, 1954 (Act No. 12 of 1954) the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Shri Ashwini Kumar, Tehsildar (Vasant Vihar) the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act in the said Territory so long as he holds the post or till further orders whichever is earlier.

सं. फा. 7(13)/रा.स्थ./स.र./जी.ए./97/पार्ट फाइल/563 (i).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित पंजाब भू-राजस्व अधिनयम, 1887 की धारा 27/1/बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विमल कुमार, तहसीलदार (कालकाजी) एवं श्री पूरणमल मीणा, तहसीलदार (नरेला) को जब तक वह इस पद पर बने रहते हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान करते हैं।

सं. फा. 7(13)/रा.स्थ./स.र./जी.ए./97/पार्ट फाइल/563 (ii).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विमल कुमार, तहसीलदार (कालकाजी) एवं श्री पूरणमल मीणा, तहसीलदार (नरेला) को जब तक वह इस पद पर बने रहते हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शिक्तयां प्रदान करते हैं ।

सं. फा. 7(13)/रा.स्थ./स.र./जी.ए./97/पार्ट फाइल/563 (iii).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित पूर्वी पंजाब होल्डिंग अधिनियम, 1948 (1948 की अधिनियम सं. 50) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विमल कुमार, तहसीलदार (कालकाजी) एवं श्री पूरणमल मीणा, तहसीलदार (नरेला) को जब तक वह इस पद पर बने रहते हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में उक्त शिक्तियां व अधिनियम के अंतर्गत चकवंदी अधिकारी नियुक्त करते हैं।

सं. फा. 7(13) रा.स्थ. रस.र. जी.ए. /97 /पार्ट फाइल /563 (iv).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 की अधिनियम सं. 12) की धारा 77 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विमल कुमार, तहसीलदार (कालकाजी) एवं श्री पूरणमल मीणा, तहसीलदार (नरेला) को जब तक वह इस पद पर बने रहते हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शिक्तयां प्रदान करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

विनय कुमार, संयुक्त सचिव

No. F. 7(13)/Rev. Estt./SR/GA/97/Part file/563
(i).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 27 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Act No. XVII of 1887), as enforced in the NCT of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon (1) Shri Vimal Kumar, Tehsildar (Kalkaji) and (2) Shri Pooran Mal Meena, Tehsildar (Narela) the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act in the said Territory, so long as they hold the post or till further orders whichever is earlier.

No. F. 7(13)/Rev. Estt./SR/GA/97/Part file/563 (ii).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901, as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon (1) Shri Vimal Kumar, Tehsildar (Kalkaji) and (2) Shri Pooran Mal Meena, Tehsildar (Narela) the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act in the said Territory so long as they hold the post or till further orders whichever is earlier.

No. F. 7(13)/Rev. Estt./SR/GA/97/Part file/563 (iii).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 14 of the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act, 1948 (Act No. 50 of 1948), as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints (1) Shri Vimal Kumar, Tehsildar (Kalkaji) and (2) Shri Pooran Mal Meena, Tehsildar (Narela) as Consolidation Officer in the

said Territory for the purpose of the aforesaid Act, till such time as they hold the said post or till further orders whichever is earlier.

No. F. 7(13)/Rev. Estt./SR/GA/97/Part file/563 (iv).—In exercise of the powers conferred by Section 77 of the Delhi Land Revenue Act, 1954 (Act No. 12 of 1954) the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon (1) Shri Vimal Kumar,

Tehsildar (Kalkaji) and (2) Shri Pooran Mal Meena, Tehsildar (Narela) the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act in the said Territory so long as they hold the post or till further orders whichever is earlier.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, VINAY KUMAR, Jt. Secy.